

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

संख्या—स०का०१/वि०म०(सदस्यो)४०२३/२००६-९३०/ विनाक—२३ सिंबर २००६।
 विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेशन)। अधिनियम २००६
 (अधिनियम स०-१६, २००६) की घोषणा ४ द्वारा प्रदत्त शरणियों का प्रयोग करते हुए विहार
 राज्यपाल नियन्त्रित नियमावली बनाते हैं, यथा—

॥ नियमावली ॥

- (१) यह नियमावली विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) नियमावली, २००६ कही जा सकती।
- (२) यह नियमावली पहली अक्टूबर २००६ से प्रवृत्त होगी।
- (३) इस नियमावली में जब तक कोई वात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो—
 (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) अधिनियम, २००६।
 (ख) 'सदन' से अभिप्रेत है यथारिति, विहार विधान सभा या विहार विधान परिषद्।
 (ग) 'दिन' से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घण्टे का दिन।
 (घ) 'निवास स्थान' से अभिप्रेत है वह स्थान जो लिखित रूप में सूचित किया गया हो।
- (४) निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरम्भ की तिथि से एक माह के भीतर सूचित कीया जाएगा।
- (५) 'सचिव' से अभिप्रेत है यथारिति, विधान सभा या विधान परिषद के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद के सचिव द्वारा संचयत किये गये, यथारिति, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव समिलित हैं।
- (६) "सदस्य के रूप में आपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य, जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उद्भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी रागिति या रोमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियों द्वारा समिति के रादर्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शागिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्थाभासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित या नियुक्त रागितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शागिल नहीं है।

- (४) "माह" से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;
- (५) "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) / राज्य में स्थित केन्द्रीय राजकीय अथवा निर्वाचित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्मोचित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;
- (६) "राजकार" से अभिप्रेत है निहार सरकार;
- (७) "मरीज" से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार का वह सदस्य जो दीनार हो;
- (८) "पौर्णांशु" से तात्पर्य है, संदर्भ की पत्नी/पति, आश्रित अवयरक पुत्र/पुत्री वा उसके गाता/पिता जो पूर्णांशु सदस्य पर आश्रित हों;
- (९) "उपर्याकार" से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निर्वाचित अस्पतालों/नर्सिंग हाउसों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशरित देश के किसी भी मान्यताप्राप्त अस्पताल / नर्सिंग हाउस में विकित्सिय एवं शल्य किया द्वारा उपचार;
- (१०) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अप्रियावित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के बही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

३. सदस्यों का वेतन।—

प्रत्येक सदस्य,

- (क) भारत के बुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;
- (ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोन्यन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोन्यन की तिथि से या यदि मनोन्यन प्रदर्शित होने के पूर्व किया जाता है, तो पद विकेत के होने की तिथि से;
- इकादार होंगे:

8000/- रु० प्रतिमाह की दर से वेतन एवं अनुमान्य भर्ते पाने के

इकादार होंगे:

परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का इकादार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

- (i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का इकादार नहीं होगा।

(ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।

(ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्योन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा।

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकेगी।

(घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

टिप्पणी — वेतन भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियाये पुरवत रहेगी।

४. **क्षेत्रीय भत्ता।** — विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिनाट रु० 10000/- क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

५. **मोटर गाड़ी क्रय हेतु क्रय की सुविधा।** — विहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य का समतुल्य राशि या अधिकतम छह लाख, रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा क्रय के रूप में स्वीकृत की जायेगी।—

(i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकर्त पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदर्श वित्त विभाग, विहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद सचिवालय द्वारा किया जायगा।

(ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (एक/युक्त द्वापट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगतेय होगी।

(iii) इस नियमावली के अन्य शर्तों के अधीन रहत हुए वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुन अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु नी गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, व्याज सहित, वापस कर चुके हों अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त की लौटा देते हैं। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों उन्हें यथास्थिति, सचिव, विहार विधान सभा/सचिव, विहार विधान परिषद से प्राप्त इस आशय का प्रभाण—पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है:

परन्तु सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार—अग्रिम दिया जायेगा।

- (iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक गूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लीटा दी जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र ग्रहक प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बधक—पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बधक रखा जायेगा। अनुबंध—पत्र और बधक—पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायें।
- (vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पाच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान गासिक किश्तों में और यदि संबंधित राज्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसे राज्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान गासिक किश्तों में की जा सकेगी।
- (viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन एवं भत्ता, यात्रा—भत्ता या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा / विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटीती की जायेगी।
- (ix) यदि क्रणी विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेशन से वसूल की जायेगी।
- (k) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद बाला साह से प्रारम्भ होगी।
- (xi) सदस्य के अग्रिम की ब्याज सहित, अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।
- (xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मन्त्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो, भुगत्य ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।
- (xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथारिति, विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेशन से वसूली की रित्थिति में, संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रयाण—पत्र, यथारिति, विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति रो संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुरांगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

- (xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की गृन्थु हो जाये या वह किसी भी कारण रो विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेंशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण रो पेंशन नहीं प्राप्त हो या पेंशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अधियां लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक मांग वसूली के रूप में वसूली कर सकती।
- (xv) 1— यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता रो किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलनीय हो, वैसी विधिति में गाड़ी को उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुगति प्राप्त कर देव सकता है।
 2— राज्य सरकार, वैसे दृष्टितों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है, ऐसी विक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन, नये वाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं :—
- (क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा न हो,
- (ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किश्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी,
- (ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।
6. स्टेशनरी की सुविधा। — विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्य के लियादान के क्रम में पेस्टल, रेटेशनरी और कार्यालय व्यव वहन करने के लिए 4000/- (चार हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतेय होगा।
7. निजी सहायक की सुविधा। — प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेंगे; जिसके लिए उन्हें मात्र 10000/- (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगा:
- परन्तु यह कि एक रो अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 10000/- रु० प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायकों को ही भुगतेय होगा।

- (1) निजी सहायक/सहायकों को रखने के बाद उन्हें, यथारीधि, इसकी सूचना, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र विहार विधान सभा सचिवालय/विहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।
- (2) निजी सहायक/सहायकों को प्रतिमाह रुपये 10000/- (दस हजार) की राशि इसके लिए विपत्र प्रत्युत्त करने पर दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ता का भाग नहीं होगी।
- (3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान रामा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।
- (4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, विहार सरकार अथवा विहार विधान सभा / विहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा विहार सरकार अथवा विहार विधान रामा/विधान परिषद् में नियुक्त होने हेतु उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

यात्रा भत्ता। -

- (क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यात्रिधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में, यथास्थिति, विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त, रेल यात्रा की दशा में प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये के छोड़ा माड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में, प्रति किलोमीटर 10/- रुपये मील भत्ता पाने का हकदार होगा।
- (ख) प्रत्येक सदस्य, यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सामन्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने सामान्य निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए फ़ेवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा।-

- (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-टीयर के किराये की आपी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;
- (ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बेंसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;
- (iii) प्राईवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दूगुनी राशि का भुगतान;

(iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/- प्रति किलोमीटर की दर से 'मील-भत्ता' देय होगा।

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वार्षिक खर्चः

परन्तु जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वार्षिक जल-परिवहन खर्च पा सकता।

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरम्भ में सदन की बैठक में गांग लेने के लिए और सत्रावसान के बाद अपने स्थायी निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतेय होगा:

परन्तु और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने बारती में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है:

परन्तु और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 10/- रु० प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति तक तकाल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक भाड़ में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतेय होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को, जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक भाड़ में मात्र दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी/ए०सी० टू-ट्रीयर का द्वयोदा रेल भाड़ा भुगतेय होगा:

परन्तु और आगे कि राज्य के बाहर रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से मिन्न, किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर १०/- रुपये की दर से 'मील-भत्ता' भुगतेय होगा:

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा, जो साधारणतः उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रहते हों, जहां संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

(१) नियमावली के अधीन यिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या राड़क द्वारा अश्वा अश्वा: सड़क और अंशांतः रेल द्वारा तय की जा

नकर्ती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता सबसे सरते और निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा-भत्ता याने का हकदार होगा, वशर्ते कि उक्त यात्राएँ वस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो :—

- (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी / ए०८०० टू-ठीयर के किराये की आधी रकम एवं आनुषांगिक चार्ज;
- (ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार्ज;
- (iii) प्राइवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़ की दुगनी राशि का भुगतान और
- (iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में, 10/- रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भील भत्ता;
- (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वास्तविक खर्च:

परन्तु यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पार जाना हो, तो वह भील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पा सकेगा:

परन्तु सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्वच्छीकरण — “अविक्षिन्न अधिवेशनमाला” वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल बढ़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ड.) यात्रा-भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगतेय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर, इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्तानरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोक-हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर लें।

9. दैनिक भत्ता। —

(1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राजदरप हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पठना में प्रतिदिन 500/- रु० की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकारी बीस दिनों के लिए प्रतिदिन 500/- रु० तथा राज्य के बाहर, अधिकतम् 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 1000/- रु० दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

प्रत्यन्तु बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

(2) विधान सभा/विधान परिषद के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण — इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन प्रारंभ होने के मूर्त तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी सामिल है :

प्रत्यन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित थे जहाँ ऐसे अधिवेशन हुए हैं।

प्रत्यन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन में नी या उससे कम दिन का अन्तराल पढ़ जाय जिसके द्वारा कोई अधिवेशन न हो, तो सदस्य ऐसे अधिवेशन के लिए विहित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, वशर्त कि उक्त अन्तराल के पहले के अतिम दिन तक अधिवेशन में तथा बाद वाले अधिवेशन में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण — (२) किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर समाख्यल पर यदि कोई सदस्य आये कि न्यू सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उसका उस दिन सभा-स्थल पर ठहरना सदन की बैठक में गाग लेने के लिए आवास नहीं माना जायेगा जबतक कि, यथारिथात्, अध्यक्ष या सचिवति, द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(३) “अविच्छिन्न अधिवेशनमाला” वह यानी जायेगी जिसके किसी दो अधिवेशनों के बीच शानिवार और शनिवार सहित नी या उससे कम दिनों का अन्तराल पढ़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो।

(४) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्बंधित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जाएगी।

- (ग) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से रांचित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।
- (2) यदि कोई सदस्य इस नियम 8 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन के स्थान पर बीमार पड़ जाय और अधिवेशन में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो, वह बीमारी की अवधि के लिए जो एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा वशर्त कि वह, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे:

प्रत्यक्ष यदि कोई सदस्य इस नियम 8 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के पीठासीन पदाधिकारी के समान संतोषप्रद घिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

10. **रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।** — प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्बन्ध में भारत के भीतर किसी स्थान या खानों की यात्राओं के लिए, ए०सी० श्रेणी में भारत के भीतर किसी स्थान या खानों की यात्राओं के लिए, प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। प्रतिवर्ष अधिकतम एक लाख रुपये मूल्य का रेलवे कूपन दिये जायेंगे। सदस्य इस कुल 1.50 लाख रुपये की सीमा के अद्यैन रहते हुए निजी परिवार के सदस्यों के साथ अधिकतम 75000/- रुपये के हवाई यात्रा के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण। — “वर्ष” से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. **सदस्यों को आवास की सुविधा।** — प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पट्टना में ऐसी रियापती दर एवं अन्य शर्तों के अद्यैन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्गम एवं आवास विभाग, यथास्थिति, विहार विधान सभा के अध्यक्ष, विहार विधान परिषद के समाप्ति की सहमति से समय-रामय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

12. **चिकित्सा की सुविधा।** —

- (1) विहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिरूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के सामान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

- (2) विहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की, गंभीर वीमारियों यथा— गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना शीटेचर्मेट, गुर्दा प्रत्लारोपन तथा एडस या दही तुर्पटना परी रिथिति में, चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी:

परन्तु वीमारी की चिकित्सा की अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अधिग्रहण के रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान, चिकित्सा पर हुये व्यय का ब्योरा समर्पित करने पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

- (3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के बाह्य चिकित्सा (ओ०पी०डी०) एवं अन्तर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।

13. विदेश यात्रा की सुविधायें।— सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें संसद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी:

परन्तु सदरय सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकें।

14. सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा।— प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग की अधिग्राहन की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना स्थित आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य निवास पर एक—एक टेलीफोन की सुविधा अनुमान्य होगी। यह दूस्माष, यथारिति, विहार विधान सभा/विधान परिषद् के नाम से, लगाया जायेगा तथा इसे पटना स्थित आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपत्र एवं सेवा शुल्क का भुगतान, यथारिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

- (क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपत्र का भुगतान सदस्य स्वयं करेगे। टेलीफोन विपत्र भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथारिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अंदर रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिकारित टेलीफोन का मासिक/द्विमासिक रेन्टल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

- (ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिकारित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर अधिकतम निःशुल्क चॉलों की सीमा 1,00,000 (एक लाख) स्थानीय कॉल तक नियरा होगी:

परन्तु, किसी वित्तीय वर्ष में गदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपांग निया जाए है तो शेष चॉल अगले वित्तीय वर्ष में अप्रणीत कर के

समायोजित किया जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार संशोधित हो जायेगी:

परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष सीमा के अधीन रहते हुए मोबाइल/इंटरनेट का उपयोग एवं चिरार्ज कूपन की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।

- (ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य के पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर नियत रथानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान, यदि आवश्यक हो, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना स्थित आवास पर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के मामले में, की जा सकेगी किन्तु इस राशि की कठौती संबंधित सदस्य के वेतन एवं भत्ते से की जायेगी।
- (ग) सदस्यों को अनुमान्य दूरभाष की सुविधायें उनकी सदस्यता समाप्त होने पर स्वतः समाप्त मात्री जायेगी।

15. सदस्यों को विद्युत एवं जल विपत्र के भुगतान की सुविधा। – प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 यूनिट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. उपस्कर की सुविधा। – प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद ₹ 25000/- उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

17. पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। –

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, ₹ 6000/- रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष की राणीति होने पर ₹ 500/- की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा:

परन्तु छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी:

परन्तु यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व-सदस्यों की भाँति पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

- (2) जहां उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :-
- राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जाये; या
 - संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो जाय; या
 - केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी वैतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय,

वहाँ ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसा पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो:

एन्तु जहां ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वैतन या जहां ऐसे व्यक्ति को खण्ड (ii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक, उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (3) पारिवारिक पेंशन की सुविधा। — ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी/ पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

“पेंशन की राशि का ७५ प्रतिशत-पारिवारिक पेंशन मुगतेय होगा”:

एन्तु उप नियम (1) का उपर्युक्त एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होगे:

एन्तु और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

- (4) रेलवे कूपन की सुविधा। — ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, अपने एक सहयोगी के साथ प्रथम १०सी०/ द्वितीय १०सी०/ तृतीय १०सी० में प्रत्येक वर्ष ७५०००/- रुपये मूल्य के रेल कूपन पर यात्रा करने का हकदार होगा।
- (5) चिकित्सा सुविधा। — उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले मूलपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की

जायेगी जो राज्य सरकार के स्वारथ विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति। —

(i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी :—

- (1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.
- (2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधाय) नियमावली, 1976.
- (3) बिहार विधान मण्डल सदस्यों के सहयोगी (रिलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976.
- (4) बिहार संसदीय सचिव (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.
- (5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961.
- (6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाड़ी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993.

(ii) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्रवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रियोन्द्र झा,
सरकार के उप सचिव।

मोटरकार खरीदने के नियम अधिकार के विषय वाले इन पृष्ठों का प्राप्त

अधिकार का पूरा नाम :-

गोप्र संघर्ष-

पिता/पति का नाम:-

आवेदक का पहलानाम :-

कार्यालय का नाम :-

घर का स्थायी नाम :-

पठना का वर्तमान पता :-

मोटरकार का अनुमति प्रौद्योगिकी :-

अपेक्षित अधिकार की रकम :-

सदस्यता समाप्ति की तिथि :-

अधिकार कर्तारी के किसी की संख्या :-

जब आपने ऐसे काम के लिए पैकड़ा भी अधिकार लिया है :-

विवर हो जो- (a) अधिकार याने की तारीख :-

नई मोटरकार खरीदना चाहते हैं या पुरानी :-

अधिकार प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर मोटरकार खरीद लेंगे।

सदस्यता की जोड़ अवधि :-

निकासी एवं व्यवन प्रशासिकारी का भाग तथा किस क्षेत्रागार से निकासी की जायेगी।

आवेदक का इसाधार

सदस्य, विदार विधान सभा/परिषद,

तिथि-

उप सचिव
२२/१/१८

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।।। अधिसूचना ।।।

प्र०पा(प्र०पा)

प्र०पा

प्र०पा

४

संख्या—सं०का०-१ / वि०म०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)०५-०६/२०१७— पटना, दि०

बिहार विद्यान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेशन) अधिनियम, २००६ (अधिनियम सं०-१६, २००६) (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा ४ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा बिहार विद्यान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) नियमावली, २००६ (समय—समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

५६९९(६)

बिहार विद्यान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली, २०१८

१. संक्षिप्त नाम और आरंभ। — (१) यह नियमावली बिहार विद्यान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली, २०१८ कही जा सकेगी।
(२) यह दिनांक ०१ दिसम्बर, २०१८ से प्रवृत्त होगी।
२. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ३(ख) में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ३(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३०,०००/- (तीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “४०,०००/- (चालीस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
३. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ४ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ४ की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “५६,०००/- (पैंतालीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “५०,०००/- (पचास हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
४. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ५ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ५ की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१०,००,०००/- (दस लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१५,००,०००/- (पन्द्रह लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
५. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ६ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ६ की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “६,०००/- (छः हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “१०,०००/- (दस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
६. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ७ में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ७ की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२०,०००/- (वीस हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३०,०००/- (तीस हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
७. उक्त नियमावली, २००६ के नियम १० में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम १० की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२,००,०००/- (दो लाख) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “३,००,०००/- (तीन लाख) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
८. उक्त नियमावली, २००६ के नियम ११(२) में संशोधन। — उक्त नियमावली, २००६ के नियम ११(२) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२२,२५०=०/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “२८,०००/- (अठाईस हजार) रुपये” तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक “६०००=०/- (छः हजार) रुपये” को अंक, शब्द एवं कोष्ठक “७,०००/- (सात हजार) रुपये” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) को तीसरी पारित में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,000/- (पचास हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रूपये" तथा पाचवीं पारित में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,000/- (दो हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चारी पक्षित में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,00,000/- (एक लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हो/—

(राजेश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-स०का० १११ वि०म०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)०५-०६/२०१७-७२३/पटना २६/११/१८
 प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द्र पठेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/सुरक्षा कुमारी, आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिक्काई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१११/२०१८

विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार विधान सभा सचिवालय पटना

ज्ञापांक-८ले०-२४७/२०१५- ७३३६ / वि०स०, पटना, दिनांक- ०५ दिसम्बर, २०१८ ₹०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण / पूर्व माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१११/१८
 (संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञापांक-८ले०-२४७/२०१५- ७३३६ / वि०स०, पटना, दिनांक- ०५ दिसम्बर, २०१८ ₹०।

प्रति:- सभी उप सचिवगण / अवर सचिवगण / प्रशाखा पदाधिकारीगण / सभी कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१११/१८
 (संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

१११/१८
 अधिकृत

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

:आधिकारिकः

सं.-सं. का. -।/वि. मं. शुद्धस्यों का वेतन एवं भेतृ ॥०५/०२/।। श्री॥ पट्टा, दि. - ।।
बिहार विधान मंडल शुद्धस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन ॥आधिनियम, 2006 ॥आधिनियम
सं. -१६, २००६ ॥॥समय-समय पर यथा संशोधित ॥ की धारा-४ के द्वारा प्रदत्त गाँक्तयों
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मंडल शुद्धस्यों का वेतन,
भत्ते एवं पेंशन ॥नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली
बनाते हैं :-

बिहार विधान मंडल शुद्धस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन ॥संशोधन ॥नियमावली, 2014

- १- तीक्ष्णत नाम और आरंभ ।-॥। यह नियमावली बिहार विधान मंडल शुद्धस्यों का
वेतन, भत्ते एवं पेंशन ॥संशोधन ॥नियमावली, 2014 कही जा सकेगी ।
॥२॥ यह अंप्रस्तुता निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
- २- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ३॥७॥ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के
नियम ३॥७॥ की चौथी पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "२५०००/-=प्रचीन छार।
रु." अंक, अंक, शब्द एवं कोष्ठक "३००००/-=तीस हजार शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित किये
जायेंगे ।
- ३- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ४ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम ४
की दूसरी पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "२५०००/-=प्रचीन हजार शुमये" अंक
शब्द एवं कोष्ठक "४५०००/-=तीस हजार शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- ४- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ५ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम ५
की तीसरी पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "८,००,०००/-=आठ लाख शुमये" अंक
शब्द एवं कोष्ठक "१०,००,०००/-=दस लाख शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- ५- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ६ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम ६
की चौथी पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "५०००/-=पाँच हजार शुमये" अंक, शब्द
एवं कोष्ठक "६०००/-=छः हजार शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- ६- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ७ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम ७
की चौथी, छठी एवं बारहवीं पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "१५०००/-=पञ्च
हजार शुमये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "२००००/-=बीस हजार शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित
किये जायेंगे ।
- ७- उक्त नियमावली, 2006 के नियम ९॥। इमें संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम ९
के उप नियम ॥। की दूसरी एवं तीसरी पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "१०००/
१०००/-=दो हजार शुमये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "२०००/-=दो हजार शुमये" एवं चौथी
पाँक्त में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "२०००/-=दो हजार शुमये" अंक, शब्द एवं कोष्ठ
"२५००/-दो हजार पाँच सौ शुमये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

१०००/....

उक्त नियमावली, 2006 के नियम-17॥१॥ में संशोधन ।-उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 के उप नियम ॥१॥ की चौथी पाँकत में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/-प्रत्यन्त्र हजार इत्यर्थे" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000/-पचास हजार इत्यर्थे" द्वारा एवं उठी पाँकतमें प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/-एक हजार इत्यर्थे" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/-दो हजार इत्यर्थे"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—

बिहार राज राय
सरकार के उप सचिव ।

झापांक-सं. का. ।/वि. म. ईसवस्थों का वेत्ता एवं भेत्ता ॥०५-०२/।। पार्ट॥ पटना, दिनांक-।।. ६. ।

प्रतीतिलिपि:- महालेखाकार, चौरचन्द्र पटेल पथ, पट्टा/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान पारिषद/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधान सभा/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, तिंदाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार विधान सभा सचिवालय पटना

झाप सं.-छंड सं. स. ७ले. -२४७/१०- ।५५० /वि०३०, पटना, दिनांक-२५-०६-।५
प्रतीति:- मा. सदस्यगण/पूर्व सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पटना ३०/६/१५
पृष्ठन कुमार सिन्दा ॥

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

झाप सं.-छंड सचिवा सं. ७ले. २४७/१०- ।५५० /वि०३०, पटना, दिनांक-२५-०६-।५
प्रतीति:- उप सचिव, अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पटना ३०/६/१५
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।
पृष्ठ
२३-६-।५

बिहार संरक्षण संसदीय कार्य विभाग

आधिसूचना

संख्या: सं०का०-।/विं०म०/सदस्यों का वेतन एवं भत्ते। 05-02-20।।-

पद्मा

दिनांक- 2011

बिहार विधान मंडल |सदस्यों का वेतन, भत्तों एवं पैशान| अधिनियम, 2006

अधिनियम सं०-१६, २००६ की घारा ४ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मंडल [सदस्यों का वेतन, भत्ते संवैष्णन] नियमावली, २००६ का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार विधान मंडल | सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पैशान | संशोधन | नियमावली 2011

- ॥१॥ संक्षिप्त नाम और आरंभ - ॥। यह नियमावली विवार विधान मंडल ॥सदस्यों का देतन, भत्ते स्वं पैशन॥ [संशोधन] नियमावली, 2011 कही जा सकेगी ।

॥२॥ यह अधिकृत निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

॥३॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-३॥ख॥ में संशोधन -नियम ३॥ख॥ की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक सब्द "8000/-रु" अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "25000/-॥पच्चीस हजार॥ रूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

॥४॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-४ में संशोधन-नियम ४ की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "12000/-॥बारह हजार॥रूपये" अंक सब्द स्वं कोष्ठक "25000, ॥पच्चीस हजार॥रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

॥५॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-५ में संशोधन-नियम ५ की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त सब्द "छह लाख रूपये" अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "8,00,000/-॥आठ लाख॥रूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

॥६॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-६ में संशोधन-नियम ६ की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "2000/-॥दो हजार॥रूपये" अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "5000/-॥पाँच हजार॥रूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

॥७॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-७ में संशोधन-नियम ७ की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "10000/-॥दस हजार॥रूपये" अंक, सब्द स्वं कोष्ठक "15000/-॥पन्द्रह हजार॥रूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

॥८॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-८॥क॥ में संशोधन-विवार ०४-०२-२०११

॥२॥

में प्रधुक्त अंक "10/-"रूपये अंक, शब्द एवं कोष्ठक" 15/-"पन्द्रह रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

- ॥८॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-9॥ में संशोधन-नियम 9 की कंडिका ॥।॥ की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रधुक्त अंक एवं शब्द "500/-रु0"अंक, शब्द एवं कोष्ठक" 1000/-"एक हजाररूपये"द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रधुक्त अंक एवं शब्द"1000/-रु0"अंक, शब्द एवं कोष्ठक"2000/-"दो हजाररूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- ॥९॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-16 में संशोधन-नियम 16 की दूसरी पंक्ति में प्रधुक्त अंक एवं शब्द "रु0 25000/-"अंक, शब्द कोष्ठक"50000/-"पच्चास हजाररूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
- ॥१०॥ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-17॥।॥ में संशोधन -नियम 17॥।॥ की चौथी पंक्ति में प्रधुक्त अंक एवं शब्द "6000/-रूपये"अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/-"पन्द्रह हजाररूपये"द्वारा एवं पंक्ति छ; में प्रधुक्त अंक "500/-"अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/-"एक हजाररूपये"द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश ते,

इ0/-

॥नवनीत रंजन तिवारी॥

विशेष कार्य पदाधिकारी सह उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या:सं0का10-1/विभ0में ॥सदस्यों का वेतन एवं भत्ते ॥-05-02/2011-595,

पटना, दिनांक 1.4.2011

प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द घटेल पाठ, पटना/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान सभा/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, तंसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/ सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघार्ड भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित ।

इ0/-अत्पष्ट

विशेष कार्य पदाधिकारी सह-उप सचिव ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

ज्ञाप सं0:7 नो-0-247/2010- 1216 /विभ0, पटना, दिनांक- 18 अप्रील, 2011 ई0।
प्रति:-सभी माननीय सदस्यों एवं तभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरित ।

१५/४/११
१५/४/११
उप सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।